पत्र संख्या : 7ब/2702 यो०ज०सं०–10/18 180

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक;
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम (लि॰),
(झालको), राँची/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड,राँची।

रॉची, दिनांक : 16/02/19

विषय :- मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–01–सतही जल, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड 50S270201796020646 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–71/18–19, दिनांक 14.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2018–19** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूॅजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–01–सतही जल,	796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, 02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान	06–अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड 50S270201796020646	**304.00**

आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ चार लाख मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2018–19** के बजट उपबंध **रू॰ 325.00 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख) मात्र** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 तथा 2747(वि॰), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

15/02/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर॰एस॰ तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–2

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी० एल० खाता में जमा करेंगे।

15. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाऐगा।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(हस्ताक्षर) 15.2.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 180 रॉंची, दिनांक :– 16/02/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(हस्ताक्षर) 15.2.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 180 रॉंची, दिनांक :– 16/02/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 15/02/19	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 15.2.19
(राजेन्द्र प्रसाद)	(रमेश कुमार दूबे)	(आर०एस० तिग्गा)	**(अरूण कुमार सिंह)**
उप सचिव (अभि०)	विशेष सचिव	अभियंता प्रमुख–2	**अपर मुख्य सचिव**

पत्रांक – 180 /रॉंची, दिनांक – 16/02/19 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – 2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01–सतही जल,

लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,

लघु शीर्ष –02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान,

विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 46 सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड 50S270201796020646

बजट उपबंध (2018–19) रू॰ 325.00 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉंची (RNCIRR035)	झालको	जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत अनुदान।	71/18-19 dt 14.02.2019 Online AA-2127/14.02.19	609.00	0.00	0.00	304.00	304.00	**92932**	
						योग	**0.00**	**304.00**	**304.00**		
आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ चार लाख मात्र।											

15/02/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

15/02/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर॰एस॰ तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–2

(अरूण कुमार सिंह) 15.2.19
अपर मुख्य सचिव